कार्यालय,जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर
(छत्तीसगढ़)

Office ph.N. - 07853-220191 Email Id - deo.bijapur02@gmail.com

--:: आदेश ::--

क्रमांक/ 2026 / जि.शि.अ./स्थापना-03/ 2023-24 बीजापुर, दिनांक 23/09/2023

छत्तीसगढ़ शासन,स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय,महानदी भवन,अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20 -चार नया रायपुर, अटल नगर दिनांक 04/05/2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर.दिनांक 04/05/2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग.व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02/07/2023 की वरीयता के आधार पर दस्तावेजों का सत्यापन हेतु गठित टीम ने दस्तावेज सत्यापन दिनांक 08/09/2023 से दिनांक 13/09/2023 तक किया है। सत्यापन उपरांत सहायक शिक्षक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से,आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर,सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल -06(25300-80500) पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं.5 में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है :-

रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम
1	2	3	4	5
13193337	ROSHAN LAL C/O SON SAY	SC	House No : 113/1 KODAWAGODAN, 11, KODAWAGODAN ,491559, District: Kabirdham Chhattisgarh, KABIRDHAM,	GOVT. BOY ASHRAM DHARBA (TWD) Bhairamgarh BIJAPUR

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बीजापुर

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :-

1. चयनित सहायक शिक्षक दिनांक 04.10.2023 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
2. चयनित सहायक शिक्षक संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण तिथि माना जायेगा।
3. नवनियुक्त सहायक शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।

4. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध मे दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है,यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

5. चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

6. चयनित सहायक शिक्षक की परिवीक्षा अवधि,स्थाईकरण,वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।

7. उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।

8. प्रमाणित किया जाता है कि सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।

9. पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।

10. संबंधित सहायक शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्तअवधि में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

11. उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक 5788/2023 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक डी.वाय. 35325/2023 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़,बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बीजापुर

पृ.क्रमांक/ **2026**A /जि.शि.अ./स्थापना-03/2023-24 — वीजापुर, दिनांक **23/09/2023**

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।

2. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सूचनार्थ ।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ ।
4. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, अटल नगर को सूचनार्थ ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक,शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सूचनार्थ ।
6. कोषालय अधिकारी बीजापुर जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ ।
7. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,बीजापुर,भोपालपटनम,भैरमगढ़ एवं उसूर जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित सहायक शिक्षक के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान करें ताकि चयनित सहायक शिक्षक को विलम्ब न हो।
8. सर्व संबंधित प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित सहायक शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. संबंधित श्री/सुश्री/कुमारी.. को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बीजापुर